बरेली पुलिस
प्रेस नोट दिनांक 30.08.2025
थाना बारादरी

थाना बारादरी बरेली पुलिस द्वारा अवैध मादक पदार्थो की तस्करी करने वाले 01 शातिर अभियुक्त को 117 ग्राम स्मैक (अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत करीब 12 लाख रूपये) के साथ किया गया गिरफ्तार।

घटना का संक्षिप्त विवरण/परिचयः-

थाना बारादरी पुलिस द्वारा रात्रि गस्त के दौरान दिनांक 30.08.2025 को 01 शातिर अभियुक्त अमन पुत्र मोतीराम निवासी ग्राम कुण्डरा मुस्तकिल थाना सुभाषनगर बरेली (उम्र 19 वर्ष) को 117 ग्राम स्मैक (कीमत लगभग 12 लाख रूपये) के साथ गिरफ्तार कर थाना बारादरी पर मु0अ0सं0 1000/2025 धारा 8/21 एन.डी.पी.एस एक्ट पंजीकृत कर नियमानुसार विधिक कार्यवाही की गयी।

सूचना, पुलिस टीम एवं कार्यवाहीः-

अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना प्रभारी बारादरी के नेतृत्व में दिनांक 30.08.2025 की रात्रि में थाना बारादरी पुलिस उ0नि0 विनय बहादुर चौकी प्रभारी सैटेलाइट व उ0नि0 रवि तोमर मय अपनी चीता मोबाइल द्वारा गस्त के दौरान मुखबिर की सूचना पर मादक पदार्थ बेचने जाने वाले 01 अभियुक्त अमन पुत्र मोतीराम निवासी ग्राम कुण्डरा मुस्तकिल थाना सुभाषनगर बरेली (उम्र 19 वर्ष) को 117 ग्राम स्मैक (अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत करीब 12 लाख रूपये) के साथ विजय पैट्रोल पम्प के पास से गिरफ्तार किया गया। इस संबंध में थाना बारादरी पर मु0अ0सं0 1000/2025 धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट पंजीकृत किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के विरुद्ध नियमानुसार विधिक कार्यवाही की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

अमन पुत्र मोतीराम निवासी ग्राम कुण्डरा मुस्तकिल थाना सुभाषनगर बरेली (उम्र 19 वर्ष)।

घटना के सम्बन्ध में पंजीकृत अभियोग का विवरणः-

मु0अ0सं0 1000/2025 धारा 8/21 एन0डी0पी0एस0 एक्ट थाना बारादरी बरेली ।

पूछताछ एवं अभियुक्त का विवरण-

अभियुक्त द्वारा पूछताछ के दौरान बताया गया कि उसने अपने लिए आईफोन खरीदने के लिए यह स्मैक गुलशन सिंह चौहान पुत्र जयवीर सिंह निवासी महेशपुरा ठाकुरान थाना सुभाषनगर बरेली से खरीदी थी तथा गुलशन से उसकी मुलाकात 10-15 दिन पहले ही हुई थी। गुलशन उपरोक्त द्वारा ही अभियुक्त अमन को साथ मिलकर स्मैक खरीदने व बेचने हेतु बताया गया तथा बताया गया कि इससे हमारे सारे शौक पूरे हो जायेगे। अभियुक्त अमन लालच में आ गया तथा गुलशन के साथ मिलकर इस कार्य को करने के लिए आया था और यह स्मैक फुटकर में शहर के विभिन्न स्थानों पर घूम घूम कर बेचता है, जिससे पैसे का दुगना फायदा होने लगा। आज भी यह माल वह सैटेलाइट चौराहा के पास बेचने के लिए लाया था कि पुलिस ने मुझे पकड़ लिया।

फरार अभियुक्तः

1.गुलशन सिंह चौहान पुत्र जयवीर सिंह निवासी महेशपुरा ठाकुरान थाना सुभाषनगर बरेली
मु0अ0सं0 1000/2025 धारा 8/21 एन.डी.पी.एस एक्ट थाना बारादरी बरेली ।

बरामदगी

1. 117 ग्राम स्मैक (कीमत लगभग 12 लाख रूपये)

पुलिस टीम-

1. प्रभारी निरीक्षक धनंन्जय पाण्डेय थाना बारादरी बरेली ।
2. उ0नि0 विनय बहादुर प्रभारी चौकी सैटेलाइट थाना बारादरी बरेली ।
3. उ0नि0 रवि तोमर थाना बारादरी बरेली ।
4. हे0का0 534 आशीष कुमार मिश्र थाना बारादरी बरेली ।
5. का0 2893 सिद्धान्त चौधरी थाना बारादरी बरेली ।

6. का0 684 अजीत सिंह थाना बारादरी बरेली ।